लखनऊ विश्वविद्यालय,लखनऊ

UNIVERSITY OF LUCKNOW

दिनांक 19 मार्च, 2016 की सम्पन्न हुई कार्य परिषद की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थित

1. डॉ0 एस0बी0 निमसे	अध्यक्ष / कुलपति
2. प्रो0 यू0एन0 द्विवेदी प्रतिकुलपति	सदस्य
3. श्री धर्मेन्द कुमार	सदस्य
4. प्रो0 अरविन्द कुमार	सदस्य
5. प्रो0 पद्मकान्त	सदस्य
6. डॉ0 रीता चौधरी	सदस्य
7. डॉ0 आर0के0 वर्मा	सदस्य
8. डॉ0 राकेश कुमार सिंह	सदस्य
9. प्रो0 बी0के0 तिवारी	सदस्य
10. प्रो0 (श्रीमती) कीर्ति सिन्हा	सदस्य
11. डॉ0 नवीना वाधवानी	सदस्य
12.डॉ0 (श्रीमती) शालिनी श्रीवास्तव	सदस्य
13.डॉ0 शशि कनौजिया	सदस्य
14.डॉ0 ओ0पी0 शुक्ला	सदस्य
15.डॉ0 एस0एम0 नक़वी	सदस्य
16.श्री अनिल कुमार सिंह	सदस्य
17.डॉ0 सूर्य कान्त	सदस्य
18.श्री सुरेश चन्द्र तिवारी	सदस्य
19.श्री देवी प्रसाद चौधरी	सदस्य
20.प्रो0 आभा अवस्थी	सदस्य
21.डॉ0 श्याम बाबू गुप्ता	सदस्य
22.डॉ0 हरिभाऊ गोपीनाथ खाण्डेकर	सदस्य
23.श्री एस0के0 शुक्ल	परीक्षा नियंत्रक एवं प्रभारी कुलसचिव / सचिव

Scanned by CamScanner

बैठक के आरम्भ में सर्वप्रथम कुलपति/अध्यक्ष कार्यपरिषद ने सभी मा0 सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात मा0 कुलपति/अध्यक्ष महोदय ने कुलसचिव/सचिव को बैठक की कार्यवाही आरम्भ करने के निर्देश दियेः–

कार्यवाही

मद 01 कार्य परिषद की बैठक दिनांक 11.02.2016 तथा आकस्मिक बैठक दिनांक 08.03.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि किये जाने पर विचार करना एवं निर्णय लेना।

(i) कार्य परिषद की बैठक दिनांक 11.02.2016 के कार्यवृत्त की निम्न संशोधन के साथ सम्पुष्टि की गयीः–

(क) दिनांक 11.02.2016 को सम्पन्न कार्य परिषद की बैठक के कार्यवृत्त के विनिश्चय संख्या–03 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–02 जो कि डॉ0 रितु नारंग की प्रोन्नति से सम्बन्धित है के निर्णय में कार्य परिषद सदस्य श्री डी0पी0 चौधरी द्वारा आपत्ति दर्ज करायी गयी को विलोपित करते हुए पढ़ा जाये।

(ख) दिनांक 11.02.2016 को सम्पन्न कार्य परिषद की बैठक के कार्यवृत्त के विनिश्चय संख्या–4 की अन्तिम पंक्ति में अनुमोदन शब्द के पूर्व "अस्थायी" शब्द जोड़कर कार्यवृत्त पढ़ा जाये। इस प्रकार संदर्भित महाविद्यालय को अस्थाई सहयुक्ता प्रदान करने का निर्णय पढ़ा जाये।

(ii) दिनांक 08.03.2016 की कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि करते हुए परिषद सदस्यों ने मत व्यक्त किया कि कुलपति अपना मत देकर खोज समिति के लिए कार्य परिषद द्वारा एक व्यक्ति के निर्वाचन के प्रकरण में निर्वाचित व्यक्ति का नाम कुलाधिपति कार्यालय को प्रेषित कर दें। कार्य परिषद को पूर्व में घटित काशी विद्यापीठ वाराणसी के प्रकरण से अवगत कराते हुए यह भी सूचित किया गया कि कुलपति के मत की गोपनीयता नही रह जायेगी। कार्य परिषद ने सर्वसम्मति से मत व्यक्त किया कि कुलपति अपना मतदान करें तथा तद्‌नुसार निर्वाचित व्यक्ति के नाम की सूचना मा0 कुलाधिपति कार्यालय को सूचित कर दें।

(iii) दिनांक 16.03.2016 को कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक की कार्यवाही की पुष्टि परिषद द्वारा बिन्दु संख्या 06 में निम्नलिखित संशोधन के साथ कीः–

(क) बिन्दु संख्या–6 में "और न ही प्रोवोस्ट का कोई पुरूष, पारिवारिक सदस्य महिला छात्रावास में आ जा सकेगा।" को विलोपित कर इस बिन्दु के अन्तर्गत अंकित निर्णय पढ़ा जायेगा तथा कार्यवृत्त उक्त सीमा तक संशोधित माना जायेगा।

Scanned by CamScanner

मद 02 कार्य परिषद की बैठक दिनांक 11.02.2016 तथा आकस्मिक बैठक दिनांक 08.03.2016 की बैठकों के कार्यवृत्त की कृत कार्यवाही पर विचार करना एवं निर्णय लेना।

कार्य परिषद ने अपनी बैठक दिनांक 11.02.2016 के कार्यवृत्त के निर्णयों पर कृत कार्यवाही की प्रस्तुत सूचना पर चर्चा करते हुए परिषद सदस्यों ने मद सख्या–3 के बिन्दु 23 व 24 पर अंकित रक्षा अध्ययन विभाग के प्रवक्ता डॉ0 ओ0पी0 शुक्ल के प्रोन्नति प्रकरण में शासन को प्रेषित संदर्भ पर शासन से प्राप्त निदेश/सूचना का विवरण जानना चाहा। कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि शासन को प्रेषित मूल पत्र के अतिरिक्त स्मृति पत्र भी प्रेषित किया गया है परन्तु अभी तक शासन से कोई भी निदेश/सूचना प्राप्त नही है। कार्य परिषद द्वारा डॉ0 ओ0पी0 शुक्ल को प्रोन्नति लाभ उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा पर कुलपति जी ने परिषद को सूचित किया कि शासन से शीघ्र उत्तर प्राप्त नही होने पर श्री शुक्ल को प्रशासनिक निर्णय लेकर प्रोन्नति लाभ अनुमन्य कराये जाने के विषय में कार्यवाही की जायेगी।

कार्य परिषद दिनांक 08.03.2016 की बैठक के निर्णयों पर प्रस्तुत कृत कार्यवाही के विवरण से अवगत हुई सचिव कार्य परिषद ने दिनांक 16.03.2016 की कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक के निर्णयों के क्रियान्वयन/अनुपालन की स्थिति से परिषद को अवगत कराया गया।

मद 03 दिनांक 14.03.2016 को प्रस्तावित वित्त समिति की बैठक की संस्तुतियों को परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.03.2016 के कार्यवृत्त पर बिन्दु संख्या क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तथा अन्य बिन्दु संख्या 1 एवं 2 पर अंकित प्रस्तावों का सदस्य सचिव वित्त समिति (वित्त अधिकारी) द्वारा कार्य परिषद के समक्ष पाठ किया गया वित्त अधिकारी द्वारा वित्त समिति के सदस्य विशेष सचिव वित्त उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अन्य बिन्दु के प्रस्तर 1 पर सहमति नही प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में भी सदन को अवगत कराया गया। परिषद द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से वित्त समिति के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या क्रमागत 1 से 10 तथा अन्य बिन्दु संख्या 1 व 2 पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद 04 कार्य परिषद की बैठक दिनांक 10.06.2004 के निर्णयानुसार निम्नलिखित अंशकालिक शिक्षकों को तत्समय विभागों में उपलब्ध प्रवक्ता के मौलिक पदों पर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–31(3)(C) में वर्णित प्राविधानान्तर्गत विनियमितीकरण किया गया था।

01. श्री देव नारायण श्रीवास्तव – विधि विभाग
02. श्री ओम प्रकाश शर्मा – विधि विभाग
03. डॉ0 तकी अली आबदी – प्राच्य अरबी एवं फारसी
04. डॉ0 अयाज अहमद इस्लाही – अरब कल्चर (अरबी विभाग)

Scanned by CamScanner

कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में तत्सयम प्रभावी परिनियम एवं संशोधित परिनियम में प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत क्रमांक–01 एवं 02 को स्टेज–2 में तथा क्रमांक 03 एवं 04 पर अंकित शिक्षकों को वरिष्ठ प्रवक्ता एवं स्टेज–3 के ग्रेड में प्रोन्नति हेतु स्क्रीनिंग कमेटी एवं स्क्रीनिंग कम एवैलुवेशन कमेटी क्रमशः दिनांक 23.02.2016 एवं 26.02.2016 तथा 04.03.2016 को आयोजित हो चुकी है। चयन समिति की संस्तुतियॉ सीलबन्द है जिन्हें कार्य परिषद की इस विषय पर स्वीकृति उपरान्त ही खोला जायेगा कि उक्त शिक्षकों को उल्लिखित प्रोन्नति लाभ देय है अन्यथा वे सीलबन्द लिफाफे सुरक्षित रहेगें।

प्रसंगवश उल्लेखनीय है विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत अंशकालिक प्रवक्ताओं के विनियमितीकरण किये जाने के प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ में याचिका संख्या–964 एस0बी0/2004 योजित की गयी थी। जो वर्तमान में अन्तिम निर्णयार्थ लम्बित है।

अग्रेत्तर यह भी सूच्य है कि डॉ0 राजेन्द्र बहादुर सिंह प्रवक्ता, भौतिक विज्ञान विभाग में प्रवक्ता वरिष्ठ वेतनमान में प्रोन्नति हेतु मा0 उच्च न्यायालय में याचिका संख्या–1740/2011 योजित किया था उक्त याचिका में मा0 न्यायालय ने दिनांक 19.10.2011 को निम्न आदेश पारित किया:–

The apprehension of the interveners that if senior pay scale is given to the petitioner they have given promotion to the higher post of reader, the writ petition challenging his regularization will become infructuous is misconceived and baseless. The petitioner has been appointed as lecturer is entitled to all the services and benefits. Still his appointment would be subject to any order which might be passed in the writ petition nos. 964(SB) of 2004 and 1184(SB) of 2004 therefore his apoointment and regularization is under challenge. The writ petition is disposed of accordingaly.

मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ के रिट याचिका संख्या–1740/2011 में पारित आदेशों के समादार एवं अनुपालन में डॉ0 आर0बी0 सिंह को प्रोन्नति विषयक लाभ स्वीकार किए गए।

रिट याचिका संख्या–964(एस0बी0)/2004 से आच्छादित अन्य शिक्षकों को भी प्रोन्नति लाभ अन्यथा अर्ह होने पर रिट याचिका संख्या–1740/2011 वे निर्णय के आलोक में मामलों के सदृश प्रकृति का होने के कारण पूर्व में स्वीकार किए गए है।

उपरोक्त 04 शिक्षकों के प्रकरण भी डॉ0 आर0बी0 सिंह के सदृश प्रतीत होते है अतः रिट याचिका संख्या 1740/2011 के आलोक में उन्हें प्रोन्नति लाभ अनुमन्य कराने है अथवा नही के विषय में कार्य परिषद के निर्णय के अनुसार चयन समिति की संस्तुतियों पर अग्रिम कार्यवाही व्यवहरणीय होगी। कृपया विचारार्थ व निर्णयार्थ।

कार्य परिषद ने कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया तथा विहित प्रक्रियानुसार शिक्षकों को प्रोन्नति लाभ अनुमन्य कराये जाने की कार्यवाही हेतु निर्णय लिया।

Scanned by CamScanner

मद 05 लखनऊ विश्वविद्यालय के निम्नलिखित शैक्षिक विभागों की उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथियों में सम्पन्न हुई चयन समिति की संस्तुतियों पर विचार करना एवं निर्णय लेनाः–

चयन समिति संस्तुतियां कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम

क्र0 सं0	विभाग का नाम	साक्षात्कार की तिथि	पदनाम	प्रकरणों की सं0
01.	विधि संकाय	19.02.2016 से 23.02.2016	प्रोफेसर स्टेज–05 एसोसिएट प्रोफेसर स्टेज–04 असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्टेज–03 असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्टेज–02	07 03 07 11 कुल 28
02.	ओरिएटल स्टडीज इन अरेबिक एण्ड परसियन	26.02.2016	असिस्टेन्ट प्रोफेसर सीनियर स्केल असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्टेज–02 असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्टेज–03	01 01 02 कुल 04
03.	तमिल(हिन्दी विभाग)	27.02.2016	असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्टेज–02	01 कुल 01
04.	अरब कल्चर (अरेबिक विभाग)	04.03.2016	असिस्टेन्ट प्रोफेसर सीनियर स्केल असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्टेज–02	01 03 कुल 04
				योग=37

चयन समिति संस्तुतियां सीधी भर्ती

01.	विधि संकाय	19.02.2016 से 22.02.2016	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	06
02	विधि संकाय		प्रोफेसर	02 कुल 08
03.	ओरिएटल स्टडीज इन अरेबिक एण्ड परसियन	26.02.2016	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	01 कुल 01
04.	जन्तु विज्ञान	29.02.2016 01.03.2016 से 02.03.2016 तक	प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेन्ट प्रोफेसर	01 04 03 कुल 08
05.	अरब कल्चर	04.03.2016	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	04 कुल 04

योग=21

शुद्धि पत्र

दिनांक 19.03.2016 की कार्य परिषद की बैठक के मद संख्या–05 में निम्न संशोधन के साथ पढ़ा जायेः–

संशोधन से पूर्व तालिका

क्र0 सं0	विभाग का नाम	साक्षात्कार की तिथि	पदनाम	प्रकरणों की सं0
04.	अरब कल्चर (अरेबिक विभाग)	04.03.2016	असिस्टेन्ट प्रोफेसर सीनियर स्केल असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्टेज–02	01 03 कुल 04

संशोधित तालिका

04.	अरब कल्चर (अरेबिक विभाग)	04.03.2016	असिस्टेन्ट प्रोफेसर सीनियर स्केल असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्टेज–03	01 01 कुल 02

Scanned by CamScanner

संशोधन से पूर्व तालिका				
05.	जन्तु विज्ञान	29.02.2016 01.03.2016 से 02.03.2016 तक	प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेन्ट प्रोफेसर	01 04 03
				कुल 08
05.	अरब कल्चर	04.03.2016	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	04 कुल 04
संशोधित तालिका				
04.	जन्तु विज्ञान	29.02.2016 01.03.2016 से 02.03.2016 तक	प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेन्ट प्रोफेसर	01 03 03
				कुल 07
05.	अरब कल्चर	04.03.2016	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	03 कुल 03

उक्त समिति की संस्तुतियों के सीलबन्द लिफाफे बैठक में प्रस्तुत किए जायेगें तथा बैठक में ही खोले जायेगे।

लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत निम्नलिखित विभागो में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु आयोजित चयन समितियों/परीक्षण समितियों की संस्तुतियों पर विचार कर निम्नवत् निर्णय पारित किये गयेः–

01. विधि संकाय (प्रोफेसर स्टेज–5, एसोसिएट प्रोफेसर स्टेज–4, असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्टेज–3, असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्टेज–2)

कार्य परिषद सदस्यों द्वारा चयन समिति के सदस्यों के नाम चयन पूर्व जानकारी हो जाने सम्बन्धी शिकायती पत्र/पत्रों का प्रकरण उठाया गया तथा चयन संस्तुतियों को माननीय कुलाधिपति महोदय को सन्दर्भित करने का निर्णय लिए जाने का मत व्यक्त किया।

कुलसचिव/सचिव, कार्यपरिषद द्वारा परिषद का ध्यान उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) की धारा 31(8) की ओर आकृष्ट किया गया तथा सम्बन्धित उपबन्ध को पढ़कर परिषद को सूचित किया गया।

साथ ही साथ सचिव ने यह भी सूचित किया कि कार्यपरिषद सदस्य श्री अनिल सिंह के पत्र में अंकित शिकायत व एक अन्य शिकायत के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा माननीय कुलाधिपति कार्यालय को आख्या भेजकर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है, परन्तु माननीय कुलाधिपति कार्यालय से इस सम्बन्ध में कोई प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त हुआ और न ही चयन समिति की संस्तुतियों के सीलबन्द लिफाफों को नही खोलने के कोई आदेश/ निर्देश प्राप्त हुए है।

कार्य परिषद ने माननीय कुलाधिपति कार्यालय से प्रकरण में चर्चा करके उचित कार्यवाही का मत व्यक्त किया।

02. ओरिएटल स्टडीज इन अरेबिक एण्ड परसियन (असिस्टेन्ट प्रोफेसर सीनियर स्केल, असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्टेज–2, असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्टेज–3)

परिषद द्वारा उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 26.02.2016 के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती पत्र/पत्रों की विषय वस्तु के परीक्षणोंपरान्त प्रकरण को पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

Scanned by CamScanner

03. तमिल (हिन्दी विभाग) (असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्टेज–2) (कैरियर एडवांसमेंट योजनान्तर्गत)

परिषद द्वारा उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 27.02.2016 को यथावत स्वीकार किया तथा तदानुसार डॉ0 अन्नामलई सेन्थिल कुमार तमिल (हिन्दी विभाग) को अग्रिम उच्च वेतनमान स्टेज–2 प्रदान किए जाने का अनुमोदन दिया।

04. असिस्टेन्ट प्रोफेसर अरबकल्चर (अ0पि0व0–01 पद/अनारक्षित–02 पद) विज्ञापन संख्या आर0–07/2015 (03 पद)

परिषद द्वारा उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 04.03.2016 की संस्तुतियों को यथावत स्वीकार किया तथा कोई भी अभ्यर्थी योग्य न पाए जाने के कारण पद को पुनः विज्ञापित किए जाने का निर्णय लिया गया।

05. असिस्टेन्ट प्रोफेसर , विधि संकाय

कार्य परिषद सदस्यों द्वारा चयन समिति के सदस्यों के नाम चयन पूर्व जानकारी हो जाने सम्बन्धी शिकायती पत्र/पत्रों का प्रकरण उठाया गया तथा चयन संस्तुतियों को माननीय कुलाधिपति महोदय को सन्दर्भित करने का निर्णय लिए जाने का मत व्यक्त किया।

कुलसचिव/सचिव, कार्यपरिषद द्वारा परिषद का ध्यान उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) की धारा 31(8) की ओर आकृष्ट किया गया तथा सम्बन्धित उपबन्ध को पढ़कर परिषद को सूचित किया गया।

साथ ही साथ सचिव ने यह भी सूचित किया कि कार्यपरिषद सदस्य श्री अनिल सिंह के पत्र में अंकित शिकायत व एक अन्य शिकायत के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा माननीय कुलाधिपति कार्यालय को आख्या भेजकर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है, परन्तु माननीय कुलाधिपति कार्यालय से इस सम्बन्ध में कोई प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त हुआ और न ही चयन समिति की संस्तुतियों के सीलबन्द लिफाफों को नही खोलने के कोई आदेश/ निर्देश प्राप्त हुए है।

कार्य परिषद ने माननीय कुलाधिपति कार्यालय से प्रकरण में चर्चा करके उचित कार्यवाही का मत व्यक्त किया।

06. प्रोफेसर, विधि संकाय

कार्य परिषद सदस्यों द्वारा चयन समिति के सदस्यों के नाम चयन पूर्व जानकारी हो जाने सम्बन्धी शिकायती पत्र/पत्रों का प्रकरण उठाया गया तथा चयन संस्तुतियों को माननीय कुलाधिपति महोदय को सन्दर्भित करने का निर्णय लिए जाने का मत व्यक्त किया।

कुलसचिव/सचिव, कार्यपरिषद द्वारा परिषद का ध्यान उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) की धारा 31(8) की ओर आकृष्ट किया गया तथा सम्बन्धित उपबन्ध को पढ़कर परिषद को सूचित किया गया।

साथ ही साथ सचिव ने यह भी सूचित किया कि कार्यपरिषद सदस्य श्री अनिल सिंह के पत्र में अंकित शिकायत व एक अन्य शिकायत के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा माननीय कुलाधिपति कार्यालय को आख्या भेजकर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है, परन्तु माननीय कुलाधिपति कार्यालय से इस सम्बन्ध में कोई प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त हुआ और न ही चयन समिति की संस्तुतियों के सीलबन्द लिफाफों को नही खोलने के कोई आदेश/ निर्देश प्राप्त हुए है।

कार्य परिषद ने माननीय कुलाधिपति कार्यालय से प्रकरण में चर्चा करके उचित कार्यवाही का मत व्यक्त किया।

Scanned by CamScanner

07. अिसस्टेन्ट प्रोफेसर (ओरिएटल स्टडीज इन अरेबिक एण्ड परसियन)

परिषद द्वारा उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 26.02.2016 के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती पत्र/पत्रों की विषय वस्तु के परीक्षणोंपरान्त प्रकरण को पुनः प्रस्तुत करने के निदेश दिये।

08. प्रोफेसर (जन्तु विज्ञान विभाग) अनारक्षित–01 पद) विज्ञापन संख्या आर0–37/2015 (01 पद)

परिषद द्वारा उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 29.02.2016 को यथावत स्वीकार किया तथा डॉ0 मोनिशा बनर्जी को आचार्य जन्तु विज्ञान (अनारक्षित) के पद पर नियुक्त प्रदान किये जाने का निर्णय लिया।

09. एसोसिएट प्रोफेसर (जन्तु विज्ञान विभाग) अ0पि0व0–1 अनारक्षित–02 पद) विज्ञापन संख्या आर0–38/2015 (03 पद)

परिषद द्वारा उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 29.02.2016 को यथावत स्वीकार किया जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर जन्तु विज्ञान विभाग (अन्य पिछड़ा वर्ग पद हेतु) कोई भी अभ्यर्थी उपर्युक्त पद हेतु योग्य न पाए जाने के कारण पद को पुनः विज्ञापित करने का निर्णय लिया तथा एसोसिएट प्रोफेसर जन्तु विज्ञान विभाग (अनारक्षित) पद हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(अ) डॉ0 गीतान्जलि मिश्रा (लखनऊ) चयनित (अनारक्षित)
(ब) डॉ0 शैली मलिक (लखनऊ) चयनित (अनारक्षित)

10. असिस्टेन्ट प्रोफेसर (जन्तु विज्ञान विभाग) अ0पि0व0–2 अनारक्षित–01 पद) विज्ञापन संख्या आर0–39/2015 (03 पद)

परिषद द्वारा उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 01.03.2016 एवं 02.03.2016 को यथावत स्वीकार किया गया तद्नुसार अधिमानी क्रम में असिस्टेन्ट प्रोफेसर जन्तु विज्ञान विभाग अ0पि0व0/अनारक्षित के पद पर नियुक्त प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

असिस्टेन्ट प्रोफेसर (अन्य पिछड़ा वर्ग)

(अ) डॉ0 मनोज कुमार (लखनऊ) चयनित अ0पि0व0
(ब) मिस मधु गुप्ता (लखनऊ) चयनित अ0पि0व0
(स) मिस प्रियंका शर्मा, (नई दिल्ली) (प्रतीक्षारत) अ0पि0व0
(द) डॉ0 कमलेश कुमार यादव (लखनऊ) प्रतीक्षारत अ0पि0व0

असिस्टेन्ट प्रोफेसर (अनारक्षित)

(ध) डॉ0 अमित त्रिपाठी (एटा नगर) चयनित अनारक्षित
(न) डॉ0 विपिन चन्द्र पाठक (पिथौडागढ़) प्रतीक्षारत अनारक्षित
(प) डॉ0 प्रीति सक्सेना (लखनऊ) प्रतीक्षारत अनारक्षित

अग्रेत्तर समिति ने इस तथ्य के दृष्टिगत कि डॉ0 अमित त्रिपाठी सहायक आचार्य के पद पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय में नियुक्त है तथा इस विश्वविद्यालय में भी सहायक आचार्य के पद पर ही नियुक्त हो रहे है। अतः कार्य परिषद ने उन्हें वेतन संरक्षण का

Scanned by CamScanner

लाभ प्रदान करने का संकल्प पारित करते हुए नियुक्ति की स्वीकृति दी। वेतन संरक्षण प्रदान करने हेतु यथा समय विहित प्रक्रिया की अनुपालना की जाये।

11. असिस्टेन्ट प्रोफेसर (अरबकल्चर) अ0पि0व0–1 अनारक्षित–02 पद) विज्ञापन संख्या आर0–7/2015 (03 पद)

परिषद द्वारा उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 04.03.2016 की संस्तुति को यथावत स्वीकार किया गया जिसमें कोई भी अभ्यर्थी उपर्युक्त पद हेतु योग्य न पाए जाने के कारण पद को पुनः विज्ञापित किए जाने का निर्णय लिया गया।

मद 06 माननीय कुलपति महोदय ने वाणिज्य विभाग में कार्यरत प्रो0 दिनेश शर्मा को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियमावली की धारा–1973–15.19 के अन्तर्गत पूर्व स्वीकृत वेतनरहित असाधारण अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 01.03.2016 से 31.05.2016 तक वेतनरहित असाधारण अवकाश की स्वीकृति कार्य परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रदान की है। परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

वाणिज्य विभाग में कार्यरत प्रो0 दिनेश शर्मा को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियमावली की धारा–1973–15.19 के अन्तर्गत पूर्व स्वीकृत वेतनरहित असाधारण अवकाश के क्रम में दिनांक 01.03.2016 से 31.05.2016 तक के वेतनरहित असाधारण अवकाश की कुलपति द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति पर कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद 07 कार्य परिषद की सम्पन्न बैठक दिनांक 11.02.2016 के कार्यवृत्त के विनिश्चय संख्या 04 (पूरक कार्यसूची का) पर डॉ0 कामना श्रीवास्तव, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयानुसार पुनः प्रकरण कार्य परिषद के विचारार्थ।

" परिषद द्वारा दिनांक 14.01.2016 की सम्पन्न कार्य परिषद की बैठक के अन्तर्गत अध्यक्ष की अनुमति से लिये जाने वाले अन्य बिन्दु संख्या–05 के अन्तर्गत डॉ0 कामना श्रीवास्तव (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) अर्थशास्त्र विभाग के प्रकरण पर गठित समिति की आख्या एवं कुलसचिव की टिप्पणी पर परिषद द्वारा विस्तृत चर्चा की गयी। कार्य परिषद के सचिव/कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि, चूँकि कार्य परिषद की सदस्या प्रो0 आभा अवस्थी उपसमिति में उपस्थित नही थी व उनके द्वारा दिये गये पत्र उपसमिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। शेष उपसमिति के सदस्यों ने उपसमिति की बैठक में अपना मत व्यक्त किया परन्तु समस्त सदस्यों में पूर्ण सहमति (Consensus) नही थी। उपासमिति के सदस्य डॉ0 डी0एन0एस0 यादव ने उपसमिति में उठाये गये समस्त बिन्दुओं पर पृथक विधिक राय भी दी है। सचिव/कुलसचिव द्वारा उक्त उपसमिति की रिपोर्ट पर लिखित असहमति भी अंकित की गयी है।"

समग्र विचारोपरान्त समस्त सदस्यों ने उक्त प्रकरण को आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव पारित किया।

Scanned by CamScanner

डॉ0 कामना श्रीवास्तव, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग के सम्बन्ध में गठित उपसमिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया।

पूरक कार्यसूची

मद 01 – कार्य परिषद की सम्पन्न आकस्मिक बैठक दिनांक 16.03.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि किये जाने पर विचार करना एवं निर्णय लेना।

सम्बन्धित निर्णय मुख्य कार्यसूची के मद संख्या–01 के निर्णय के साथ इसी कार्यवृत्त में अंकित है।

मद 02 – कार्य परिषद की बैठक दिनांक 10.06.2004 के निर्णयानुसार निम्नलिखित अंशकालिक शिक्षकों को तत्समय विभागों में उपलब्ध प्रवक्ता के मौलिक पदों पर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–31(3)(C) में वर्णित प्राविधानान्तर्गत विनियमितीकरण किया गया था। निम्नलिखित शिक्षकों द्वारा अर्हता पूर्ण होने के उपरान्त कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत प्रोन्नति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये है:–

01. डॉ0 प्रेरणा माथुर	– प्राच्य संस्कृत विभाग
02. कु0 अनीता कनौजिया	– फाईन आर्टस
03. श्रीमती नीता कुमार	– फाईन आर्टस
04. श्री अजय कुमार सोनकर	– कॉमर्शियल आर्टस
05. श्रीमती विभावरी सिंह	– स्कल्पचर आर्टस

सूच्य है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत अंशकालिक प्रवक्ताओं के विनियमितीकरण किये जाने के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में याचिका संख्या–964 एस0बी0/2004 योजित किया था जो वर्तमान में निर्णयार्थ लम्बित है।

सूच्य है कि तत्सयम प्रभावी परिनियम 11.01 (4) Faculty of Fine Arts में प्रवक्ताओं के नियुक्ति हेतु निम्न शैक्षिक अर्हता निर्धारित थी

(4) In the case of Faculty of Fine Arts,the following shall be the minimum qualification for the post of lecturer in the University, namely:either

Master's degree or an equivalent degree or diploma recognised by the University in the relevant subject with atleast 55% marks or its equivalent grade and consistently good academic record. Or

A traditional or a professional artist with highly commendable professionable achievement in the subject.

उपरोक्त परिनियम में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता क्रमशः 02, 03, एवं 05 पूर्ण करते है क्योकि Master of Fine Arts में 55 प्रतिशत से अधिक अंक है तथा स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत से अधिक है के आधार पर प्रवक्ता के नियुक्ति हेतु अर्हता धारित करते है। क्रमांक–4 पर अंकित प्रवक्ता की Master of Fine Arts में 54.46 प्रतिशत अंक हे जो निर्धारित अर्हता से कम है, के अनुसार इन्हें न तो नियमित नियुक्ति की जा सकती है और न ही कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत विभिन्न स्टेजों में प्रोन्नति की जा सकती है। डॉ0 प्रेरणा माथुर, प्रवक्ता, प्राच्य संस्कृत विभाग, प्रवक्ता हेतु समस्त शैक्षिक अर्हता पूर्ण करती है क्योकि परास्नातक

Scanned by CamScanner

स्तर पर 73 प्रतिशत अंक है तथा पी–एच0डी0 1995 में धारित किया गया था एवं जे0आर0एफ0 परीक्षा वर्ष 1989 में उत्तीर्ण की थी। कैरियर एडवान्समेन्ट प्रोन्नति हेतु प्राच्य संस्कृत विषय की स्क्रीनिंग कमेटी दिनांक 31.03.2016 तथा फाईन आर्ट विषय की स्क्रीनिंग कमेटी दिनांक 28.03.2016 को आहूत की गयी है।

उपरोक्त 04 शिक्षकों के प्रकरण भी डॉ0 आर0बी0 सिंह के सदृश प्रतीत होते है। अग्रेत्तर यह भी सूच्य है कि डॉ0 राजेन्द्र बहादुर सिंह प्रवक्ता, भौतिक विज्ञान विभाग में प्रवक्ता वरिष्ठ वेतनमान में प्रोन्नति हेतु मा0 उच्च न्यायालय में याचिका संख्या–1740/2011 योजित किया था उक्त याचिका में मा0 न्यायालय ने दिनांक 19.10.2011 को निम्न आदेश पारित किया:–

The apprehension of the interveners that if senior pay scale is given to the petitioner they have given promotion to the higher post of reader, the writ petition challenging his regularization will become infructuous is misconceived and baseless. The petitioner has been appointed as lecturer is entitled to all the services and benefits. Still his appointment would be subject to any order which might be passed in the writ petition nos. 964(SB) of 2004 and 1184(SB) of 2004 therefore his apoointment and regularization is under challenge. The writ petition is disposed of accordingaly.

अतः रिट याचिका संख्या 1740/2011 के आलोक में डॉ0 राजेन्द्र बहादुर सिंह को वरिष्ठ प्रवक्ता,वेतनमान एवं स्टेज–3 स्वीकृत किया जा चुका हैचूँकि प्रकरण समान प्रकृति के है अतः उपरोक्त 04 शिक्षको को कैरियर एडवान्समेन्ट योजना के अर्न्तगत प्रवक्ता वरिष्ठ वेतनमान/स्टेज–3 में प्रोन्नति सम्बन्धी प्रकरण कार्य परिषद के विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

कार्य परिषद द्वारा उक्त शिक्षकों में से श्री अजय कुमार सोनकर को निर्धारित शैक्षिक अर्हता नही रखने के कारण छोड़ते हुए शेष 04 शिक्षकों को कैरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत देय लाभ विहित प्रक्रियानुसार अनुमन्य कराने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद 03 विश्वविद्यालय में अधिनियमित प्राविधानानुसार एक वर्ष के स्टैण्डिंग अनुशासनिक समिति गठित करने पर विचार करना।

अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु दो वर्ष के लिए अनुशासनिक समिति गठित करने का कार्य परिषद द्वारा निर्णय लिया गया तथा उक्त समिति हेतु निम्नानुसार दो सदस्यों का नामाकंन किया:–

01. माननीय न्यायमूर्ति श्री के0एस0 राखडा (सेवानिवृत्त)
02. श्री के0एल0 गुप्ता, पूर्व पुलिस महानिदेशक,उत्तर प्रदेश

मद 04 डॉ श्रद्धा चन्द्रा को दिए जाने वाले आरोप पत्र के अनुमोदन पर विचार करना।

परिषद द्वारा डॉ श्रद्धा चन्द्रा को दिए जाने वाले आरोप पत्र पर अनुमोदन प्रदान करते हुए नियमानुसार विहित प्रक्रियानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निदेशित किया गया।

मद 05 दिनांक 16.03.2016 को कैलाश हॉस्टल के प्रकरण में प्रो0 आभा अवस्थी, सदस्य, कार्य परिषद की अध्यक्षता में गठित जॉच समिति की रिपोर्ट प्राप्त करना तथा निर्णय लेना।

Scanned by CamScanner

दिनांक 16.03.2016 को कैलाश हॉस्टल के प्रकरण में गठित जॉच समिति की रिपोर्ट/आख्या को परिषद सदस्यों को सचिव कार्य परिषद द्वारा पढ़कर सुनाया गया। परिषद द्वारा डॉ0 शीला मिश्रा को सभी प्रशासनिक दायित्वों से मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया तथा रिक्तियों पर कुलपति को नवीन नियुक्तिों करने के लिए अधिकृत किया गया।

बैठक में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लिये जाने वाले अन्य मद

01. प्रोफेसर (व्यवहारिक अर्थशास्त्र विभाग) (अनारक्षित–01 पद) विज्ञापन संख्या आर0–43/2015 (01 पद)

परिषद द्वारा उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 18.03.2016 को यथावत् स्वीकार किया गया, जिसमें डॉ0 विमल जायसवाल को आचार्य व्यवहारिक अर्थशास्त्र (अनारक्षित) के पद पर नियुक्त प्रदान किये जाने का निर्णय लिया।

02. असिस्टेन्ट प्रोफेसर (व्यवहारिक अर्थशास्त्र विभाग) (अनारक्षित–02 पद, अनुसूचित जाति/जनजाति–01 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग–01) विज्ञापन संख्या आर0–44/2015 (03 पद)

परिषद द्वारा उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 18.03.2016 एवं 19.03.2016 को यथावत् स्वीकार किया गया जिसमें तद्नुसार अधिमानी क्रम में असिस्टेन्ट प्रोफेसर व्यवहारिक अर्थशास्त्र विभाग में अनारक्षित–02 पद, अनुसूचित जाति/जनजाति–01 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग–01 पद पर निम्न को नियुक्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

असिस्टेन्ट प्रोफेसर (व्यवहारिक अर्थशास्त्र विभाग) (अनारक्षित)

(अ) मिस जय लक्ष्मी शर्मा, (लखनऊ) चयनित अनारक्षित
(ब) मिस अर्चना सिंह (लखनऊ) (प्रतीक्षारत) अनारक्षित

असिस्टेन्ट प्रोफेसर (व्यवहारिक अर्थशास्त्र विभाग) (अ0पि0व0)

(स) डॉ0 नागेन्द्र कुमार मौर्या,(लखनऊ) चयनित अ0पि0व0
(द) मि0 कृष्ण कान्त वर्मा (लखनऊ) प्रतीक्षारत अ0पि0व0

असिस्टेन्ट प्रोफेसर (व्यवहारिक अर्थशास्त्र विभाग) (अनुसूचित जाति/जनजाति)

(ध) डॉ0 करूणा शंकर कनौजिया, (लखनऊ) चयनित अनुसूचित जाति/जनजाति
(न) डॉ0 क्रान्ति सिंह (लखनऊ) प्रतीक्षारत अनुसूचित जाति/जनजाति

अध्यक्ष महोदय ने बैठक के अन्त में समस्त मा0 सदस्यों का प्रदत्त सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की।

(एस0के0 शुक्ल)
परीक्षा नियंत्रक एवं प्रभारी कुलसचिव/सचिव

(डॉ0 एस0बी0 निमसे)
कुलपति/अध्यक्ष

Scanned by CamScanner